...लय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...: 72/2017

कन्या बाई पत्नि रमेशचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. द्वारकाबाई पुत्री श्री भंवरलाल पत्नि रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल हाल निवासी मूंडली तहसील मांगरोल जिला बारां
2. मनोहरलाल पुत्र श्री बलराम जाति मीणा निवासी हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां
3. गुड्डीबाई पुत्री बलराम पत्नि ओम प्रकाश जाति मीणा निवासी हरसोली तहसील मागंरोल
4. मूली बाई बेवा बलराम जाति मीणा निवासी ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल
5. प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बारां
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53 एवं 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादनी : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री दया कृष्ण धाकड
दायरा दिनांक: 20.07.2017 निर्णय दिनांक : 07.01.2019

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है मुताबिक नकल जमाबंदी ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल संवत 2072–2075 के अनुसार ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल में खसरा नं0 64 रकबा 1.23 है0, खसरा नं0 70 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0, खसरा नं0 135 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 363 रकबा 0.08 है0 कुल किता 5 रकबा 2.75 है0 भूमि स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी कम 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 है। पक्षकारो के मध्य मौखिक बंटवारा अनुसार प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में खसरा नं0 70 रकबा 0.13 है0 एवं खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 भूमि आयी है। प्रतिवादी कम 1 ने अपने हिस्से की आराजी में से 9/10 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण खाते का 9/20 वां हिस्सा रकबा 1.23 है0 वादियां को बेचान की तथा इस 1.23 है0 में से खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 भूमि वादियां को संभला दी वादिया के पक्ष में एक रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 01.07.2010 को उपपंजीयक मांगरोल के समक्ष लिखवाकर वादिया को खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 पर दे दिया। वादिया तभी से खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 भूमि को काश्त करती चली आ रही है। रजिस्टर्ड विकय पत्र निष्पादित होने के बात वादनी के नाम राजस्व कार्मिको ने नामान्तरकरण दर्ज नही किया एवं प्रतिवादीगण ने बैंक ऑफ बडौदा से गलत तथ्य बताकर ऋण स्वीकृत करवा लिया । जबकि रहन की रकम वादिया ने प्राप्त नही की है। केवल मात्र प्रतिवादीगण ने प्राप्त की है। प्रतिवादीगण के मन

[illegible] आ जाने के कारण वे अपने रजिस्टर्ड विक्रय नामे से मुकर रहे है तथा बैंक की रकम जमा नही [illegible] है। इससे भूमि वादिया के खाते दर्ज नही हो रही है एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को दीगर [illegible] बेचान करना चाहतें है। जिसका उनको कोई हक व अधिकार हांसिल नही है एवं वादग्रस्त भूमि [illegible] जबरन काश्त करना चाहते है। अतः बहक वादनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित [illegible] जावे कि ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल की उक्त वर्णित आराजी में वादिया का जो प्रतिवादी कम 1 का 1/2 का 9/10 वा हिस्सा यानि सम्पूर्ण खाते का 9/20 हिस्सा रकबा 1.23 है0 भूमि वादिया ने दिनांक 01.07.2010 को रजिस्टर्ड बैचान नामे से खरीद की है, वादिया के नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज करवायी जावें व प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि ग्रार हरसोली तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 भूमि पर वादनी को शांतिपूर्वक काश्त करता रहने देवे वादनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं करें न अपने प्रतिनिधि से करावें। प्रतिवादी कम 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि रहन की रकब प्रतिवादी कम 1 की खसरा नं. 81 रकबा 1.20 है0 भूमि के अलावा तथा शेष प्रतिवादी कम 2 ता 4 की भूमियों से वसूल करें। क्योकि रजिस्टर्ड विकय नामा दिनांक 01.07.2010 के दिन वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी कम 5 के पास रहन नही था।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 20.07.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दयाकृष्ण धाकड व श्री श्याम पारेता ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। लेकिन आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी कम 2, 4 व 5 बाजवूद विधिवत सम्मन तामीली के भी रूक–रूक कर तीन मर्तबान आवाज दिलवाने पर भी अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी कम 2, 4 व 5 को एक्स पार्टी घोषित कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी प्रकरण में दिनांक 04.01.2019 को वकील वादनी द्वारा साक्ष्य वादी दर्ज करवायें। साक्ष्य वादनी स्वयं कन्या बाई पत्नि रमेशंचन्द्र जाति मीणा निवासी हरसोली के बयान करवाये। जो शामिल पत्रावली है। वादनी द्वारा अपने बयान में उन्ही तथ्यों का कथन किया गया है जिसका वादनी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 07.01.2019 को बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गयी। वकील वादनी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र व साक्ष्य के बयान में अंकन किया गया है। अतः मुताबिक वाद पत्र, साक्ष्य, सुनी गयी

अतः वादी का वाद वादनी आंशिक रूप स्वीकार किया जाता है एवं निम्नानुसार निर्णय पारित किया है—

01. प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम हरसोली की आराजी खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 भूमि पर वादनी के कब्जे काश्त में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों से मदाखलत नही करावें। साथ ही प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 को आराजी खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 को किसी अन्य व्यक्तियों को रहन, बेचान या खुर्दबुर्द नही करने की भी स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

02. प्रतिवादी कम 5 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि रहन की रकम प्रतिवादी कम 1 की आराजी खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 भूमि के अलावा एवं शेष प्रतिवादी 2 ता 4 की भूमियों से वसूल करें। क्योकि रजिस्टर्ड बेचान नामा दिनांक 01.07.2010 के दिन वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी कम 5 के पास रहन नही थी।

तहसीलदार मांगरोल तदनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में नोट अंकित कर पालना से अवगत करावें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया